भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्याः *170

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव

***170. डॉ. डी. रवि कुमारः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव के राज्य, वर्ष और संघ राज्यक्षेत्रवार कुल कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव को रोकने हेतु पहल करने के लिए वित्तीय वर्ष 25 के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के संबंध में डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 170 जिसका उत्तर 11.03.2025 को दिए जाने के लिए निर्धारित है, के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) में और कार्यस्थलों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव के बारे में आंकड़ें केन्द्रीय रूप से नहीं बनाए रखे जाते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक के लिए उपलब्ध हैं।

(ख): सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955, जो 'अस्पृश्यता' की प्रथा से उत्पन्न होने वाली किसी भी नि:शक्तता के प्रवर्तन के लिए दंड विहित करता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989, जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को करने से रोकने के लिए है, के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केन्द्र प्रायोजित योजना चला रहा है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 (05.03.2025 की स्थिति के अनुसार) में 470.51 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार जारी की गई राशि **अनुबंध-I** में दी गई है। ये अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं।

अनुबंध-I

लोक सभा में 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 170 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

वित्त वर्ष 2024-25 में (05.03.2025 की स्थिति के अनुसार) योजना के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	जारी केंद्रीय सहायता
1.	बिहार	46.34
2.	छत्तीसगढ़	16.87
3.	दिल्ली	0.60
4.	गोवा	0.28
5.	गुजरात	30.12
6.	हरियाणा	28.75
7.	हिमाचल प्रदेश	2.04
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.55
9.	कर्नाटक	48.66
10.	केरल	2.36
11.	मध्य प्रदेश	88.12
12.	महाराष्ट्र	12.26
13.	ओडिशा	35.81
14.	पुदुचेरी	0.85
15.	राजस्थान	18.62
16.	सिक्किम	0.09
17.	तमिलनाडु	32.18
18.	तेलंगाना	8.99
19.	उत्तराखंड	1.19
20.	उत्तर प्रदेश	89.49
21.	पश्चिम बंगाल	4.64
22.	चंडीगढ़	1.62
23.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.08
	कुल	**470.51**

*****